कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13E-05-11/2016 – 346 दिनांक :– 06/02/18

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1218 दिनांक 28.12.2017 एवं आपका पत्रांक 285 दिनांक 19.01.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1218 दिनांक 28.12.2017 में की गई पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

समर्पित पृच्छाओं एवं उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा की गई। प्रसंगाधीन पत्र की पृच्छा में माईनिंग प्लान के पृष्ट संख्य 34 पर दी गई सूचना, जिसे नीचे उल्लेखित किया जा रहा है यथा Reclamation at conceptual stage, के संबंध में निम्न बाते कही गई है:– The Mining lease area is exists on the ground surface and surface level of the excavated area would be 330 meter after end of life of mine. इसका अर्थ क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसे स्पष्ट करने हेतु उपयोगकर्त्ता संस्थान को निर्देश देने की कृपा की जाय ताकि पृच्छा संख्या 2 का स्पष्ट जवाब भेजा जा सके।

इसी प्रकार पृच्छा संख्या 5 के जवाब में कहा जा रहा है कि Ground water table of the proposed Karma stone mine is 65 metre depth from the existing surface । इसी जवाब में पुनः यह भी कहा जा रहा है कि ………….. floor level of quarry shall be 330 metre depth at the end of life of mine which is 5 metre up from Ground Water table. वहीं पर Mining Plan के पृष्ट संख्या 42 के बिन्दु 3(C) में यह कहा जा रहा है कि As the depth of ground water level varies from 65 metre from top contour level and the mining activity will be done above the water table. Hence, it is not for seen any ground water seepage in the mined out area.

यह परस्पर विरोधाभाषी जवाब है। एक तरफ Ground water table से उपर खनन करने की बात कही जा रही है, वहीं दुसरी ओर 330 मीटर गहराई तक खनन करने की बात भी कही जा रही है।

अतः प्रयोक्ता संस्थान को यह निर्देश दिया जाय कि वे स्पष्ट रूप से सूचित करें कि वे वास्तव में कितनी गहराई तक खनन कार्य सम्पादित करेगें एवं Ground water table के नीचे खनन किया जाना है अथवा नहीं ?। उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रयोक्ता संस्थान को स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया जाय।

आपके द्वारा पृच्छा की कंडिका 6 के जवाब में अवैध खनन के विरूद्ध न्यायालय में अपराध प्रतिवेदन भेजने की सूचना दी गई है। कृपया सूचित करें कि उक्त वादों में अंतिम अपराध प्रतिवेदन समर्पित किया गया अथवा नहीं एवं यदि समर्पित कर दिया गया है तो उन मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायालय से अनुरोध करने की कृपा की जाय।

अतएव समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सात प्रति मूल रूप में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु वापस भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी

(हस्ताक्षर) 6/2/18

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

\\India\d\CFH\F.C. Act\Karma Mining Proposal\13E-5-11-2016 (Karma Stone Mines).doc